

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 29.07.2021



प्रसंग—

महाशय,

श्री सौरभ कुमार द्वारा वैशाली जिलान्तर्गत सैदपुर रजौली मौजा के खाता संख्या-272, 145, खेसरा संख्या-509, 510, 511, थाना-सदर (हाजीपुर) में SH-49 पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.010725 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

आपका पत्रांक 635 दिनांक 19.07.2021,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/46309/2020/4298, दिनांक 14.10.2020 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 7,52,635/- मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219946309742, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 28.07.2021 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBINR52021072834784817 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. (a) NPV के मद में मेरे द्वारा 0.010725 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 6,714/- बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219946309742, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 28.07.2021 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBINR52021072834784817 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. (b) मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, New Delhi के खाता में दिनांक 28.07.2021 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
5. जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र पूर्व में आपको उपलब्ध करा दी गयी है।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

- 28
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 8. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - 10(a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - 10(b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - 10(c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 11. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
 12. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 13. Ministry website पर Compliance Report मेरे द्वारा समर्पित कर दिया गया है।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०—यथोक्त

विश्वासभाजन,

Saurabh Kumar

सौरभ कुमार,
पिता—श्री हिमांशु शेखर भासकरम,
कुसुम कुंज, बुद्धा कॉलोनी,
अदलबारी, हाजीपुर,
जिला—वैशाली, पिन—8441003

07283 478487

Union Bank of India

Date: 28/07/2021

Received ₹ 259349

From: Himanshu S. Bhaskar

For remittance of NEFT/RTGS by way of

(i) Transfer (only NEFT), (ii) Cash (only NEFT), (iii) Cheque (NEFT/RTGS) using

cheque No. 152926

favouring Bihar Campa

A/c No. 1506219946309742

IFSC Code: UBIN0903710

Amount ₹ 259349.00

Bank's Charges ₹ 4220

Total ₹ 259396.20

(Rupees Only)

For office Use, UTR No. Branch Manager

Amount in Words : Seven Lakh Fifty-Nine Thousand Three Hundred and Forty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1506219946309742 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

NEFT RTGS CHALLAN

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्र प्रदेश सरकार A Government of India Undertaking

आंध्र प्रदेश Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 28-07-2021

Agency Name.	SAURABH KUMAR
Application No.	19946309742
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/46309/2020
Location.	BIHAR
Address:	S/o-Sri Himanshu Shekhar Bhaskaram, Kusum Kunj, Budhha Colony, Adalbari, Hajipur Vaishali
Amount(in Rs)	759349/-

Amount in Words : Seven Lakh Fifty-Nine Thousand Three Hundred and Forty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1506219946309742 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

कार्यालय, जिला पदाधिकारी वैशाली के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र
(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या 1150 दिनांक 04-01-2021

प्रमाणित किया जाता है कि वैशाली जिले में प्रयोक्ता एजेंसी सौरभ कुमार द्वारा B.P.C.L. रैखिक परियोजना निर्माण स्थान बैटपुर सौली से प्रवेश सेनिकाशीम तक कुल किलोमीटर 15.मी० में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.010725 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी वैशाली के पत्रांक 1590 दिनांक 14/7/2020 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जाँचोपरांत प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान- हाजीपुर
तिथि- 04-01-2021

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर
जिला पदाधिकारी
हाजीपुर

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census- 2001 and the Census- 2011.

Place: हाजीपुर
Dated: 04-01-2021

24/1/21
District Magistrate
जिला पदाधिकारी
and Office Seal